भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-481
दिनांक 6 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

बिजली लाइन क्षति

481. श्री अरुण गोविल:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) देश में बिजली की लाइनों की क्षति की वर्तमान स्थिति का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) बिजली चोरी के दोषी क्षेत्रों की पहचान करने तथा उनसे वसूली करने के लिए सराकर द्वारा तैयार की जाने वाली संभावित कार्य-योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति करने की प्रक्रिया में प्रणाली में होने वाली विद्युत की हानियां तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों की प्रकृति की होती है। देश में कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों की वर्तमान स्थिति का राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध** पर दिया गया है।

(ख) : संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकार की वितरण यूटिलिटी अर्थात् वितरण कम्पनियाँ (डिस्कॉम)/विद्युत विभाग अपने प्रचालन क्षेत्र में पारेषण और वितरण हानियों को कम करने के लिए जिम्मेदार हैं। भारत सरकार समय-समय पर विभिन्न स्कीमों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करती रही है।

राज्यों को उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार करने में मदद करने के लिए, भारत सरकार (जीओआई) ने जुलाई 2021 में 3,03,758 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम(आरडीएसएस) शुरू की। इस स्कीम का उद्देश्य अखिल भारतीय स्तर पर एटीएंडसी हानियों को 12-15% तक कम करना और आपूर्ति की औसत लागत और औसत प्राप्त राजस्व (एसीएस-एआरआर) के अंतर को शून्य करना है।

इस स्कीम के अंतर्गत 2.78 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को संस्वीकृति दी गई है। 1.48 लाख करोड़ रुपये की हानि न्यूनीकरण अवसंरचना परियोजनाओं को संस्वीकृति दी गई है, जिसमें अनावृत कंडक्टरों को आवृत्त कंडक्टरों से बदलना, लो टेंशन एरियल बंच्ड (एलटी एबी) केबल बिछाना, वितरण ट्रांसफार्मर

(डीटी)/सब-स्टेशनों का उन्नयन/संवर्द्धन आदि शामिल हैं। इसके अलावा, 19.79 करोड़ प्रीपेड स्मार्ट उपभोक्ता मीटर, 2.11 लाख संचार फीडर मीटर और 52.53 लाख वितरण ट्रांसफार्मर संचार मीटर संस्वीकृत किए गए हैं।

प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग आरडीएसएस के अंतर्गत एटीएंडसी हानियों में सुधार के लिए परिकल्पित महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों में से है। यह वितरण यूटिलिटी को बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के, समय पर राजस्व एकत्र करने और सभी स्तरों पर ऊर्जा प्रवाह को मापने की अनुमति देता है। उचित और सटीक ऊर्जा लेखांकन उच्च हानि और चोरी संभावित क्षेत्रों की पहचान करने की कुंजी है, जिससे यूटिलिटी की बिलिंग और संग्रह दक्षता में काफी सुधार होगा।

भारत सरकार ने प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग के लिए विभिन्न परामर्शिकाएं और मानक संचालन प्रक्रियाएँ जारी की हैं। जारी की गई परामर्शिका के अनुसार, प्रीपेड स्मार्ट मीटरों को कार्यालयों/संस्थाओं/स्थानीय निकायों आदि सहित सरकारी प्रतिष्ठानों और वाणिज्यिक, औद्योगिक और उच्च भार वाले उपभोक्ताओं में प्राथमिकता दी जा सकती है। अनुभव के आधार पर, अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा सकते हैं।

सरकार द्वारा किए गए उपायों के परिणामस्वरूप, एटीएंडसी हानियाँ वित्तीय वर्ष 2021 में 21.9% से घटकर वित्तीय वर्ष 2023 में 15.4% हो गई हैं।

लो.स.अतारां.प्र.सं. 481

अनुबंध

तालिका: वर्ष 2020-21, 2021-22 और वर्ष 2022-23 के लिए कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियाँ।

	2020-21	2021-22	2022-23
राज्य क्षेत्र	22.6	16.5	15.8
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	51.9	19.8	19.8
अंडमान एवं निकोबार पीडी	51.9	19.8	19.8
आंध्र प्रदेश	20.4	10.6	8.0
अरुणाचल प्रदेश	51.8	47.8	51.7
असम	18.7	17.0	16.2
बिहार	34.4	31.8	25.0
चंडीगढ़	13.8	13.3	-
छत्तीसगढ	18.1	18.1	16.1
दिल्ली	24.8	8.3	10.7
गोवा	12.9	6.0	11.9
गुजरात	11.6	9.7	10.7
हरियाणा	17.5	13.9	12.0
हिमाचल प्रदेश	14.0	12.9	10.6
जम्मू एवं कश्मीर	59.3	-	-
झारखंड	43.1	30.8	30.3
कर्नाटक	16.0	11.5	13.9
केरल	7.8	7.7	7.1
केएसईबीएल	7.8	7.7	7.0
टीसीईडी	13.5	16.5	7.1
लद्दाख	-	48.3	30.3
लक्ष्यद्वीप	11.6	-	-
मध्य प्रदेश	41.7	21.4	20.6
महाराष्ट्र	27.7	16.5	18.6
मणिपुर	24.6	30.6	13.8
मेघालय	23.4	25.5	24.0
मिजोरम	29.0	36.2	26.3
नागालैंड	47.1	43.6	45.8
पुदुचेरी	20.1	11.1	17.5
पंजाब	18.5	11.7	11.3
पीएसपीसीएल	18.5	11.7	11.3
राजस्थान	26.2	17.5	15.9
सिक्किम	98.4	30.8	36.7

	2020-21	2021-22	2022-23
तमिलनाडु	11.8	11.4	10.3
तेलंगाना	13.3	10.6	18.6
त्रिपुरा	37.4	31.2	28.2
उत्तर प्रदेश	27.1	31.0	22.3
उत्तराखंड	15.4	14.1	15.3
पश्चिम बंगाल	21.3	16.7	17.3
निजी क्षेत्र	13.9	13.5	10.9
दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	5.0	3.8	3.6
दिल्ली	8.8	8.0	7.1
गुजरात	6.9	4.5	3.9
महाराष्ट्र	8.9	6.7	6.5
ओडिशा	27.4	31.4	21.9
उत्तर प्रदेश	9.8	8.5	8.4
पश्चिम बंगाल	13.2	7.7	8.1
कुल योग	**21.9**	**16.2**	**15.4**

(स्रोत: पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रकाशित वर्ष 2020-21 से वर्ष 2022-23 के लिए विद्युत यूटिलिटियों के निष्पादन संबन्धित रिपोर्ट)

****